# नागरिकता अधिनियम, 1955

## [Citizenship Act, 1955]

**( अधिनियम संख्या 57 सन् 1955 )**[1]

[30 दिसम्बर, 1955]

विषय-सूची


धाराएं

1. संक्षिप्त नाम
2. निर्वचन
3. जन्म से नागरिकता
4. अवजनन द्वारा नागरिकता
5. रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता
6. देशीयकरण द्वारा नागरिकता

6-क. आसाम समझौते के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में विशेष उपबन्ध

7. राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता

**विदेशी नागरिकता**

7-क. विदेशी नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण

7-ख. भारतवर्ष के अन्य देशीय नागारकों को अधिकारों का प्रदान किया जाना

7-ग. अन्य देशीय नागरिकता का त्यजन

7-घ. भारतवर्ष के अन्य देशीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना

**नागरिकता का पर्यवसान**

8. नागरिकता का त्यजन

धाराएं

9. नागरिकता का पर्यवसान
10. नागरिकता से वंचित किया जाना
11. [* * *]
12. [* * *]
13. संदेह की दशा में नागरिकता का प्रमाणपत्र
14. धाराएँ 5 और 6 के अधीन आवेदन का निपटारा

14-क. राष्ट्रीय परिचय पत्र का जारी किया जाना

15. पुनरीक्षण

15-क. पुनर्विलोकन

16. शक्तियों का प्रत्यायोजन
17. अपराध
18. नियम बनाने की शक्ति
19. निरसन

प्रथम—[* * *]

द्वितीय अनुसूची

तृतीय अनुसूची

चतुर्थ अनुसूची


**भारतीय नागरिकता के अर्जन और पर्यवसान के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम**

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**1. संक्षिप्त नाम**—इस अधिनियम का नाम नागरिकता अधिनियम, 1955 है।

**2. निर्वचन**—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "भारत में की किसी सरकार" के केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार अभिप्रेत है;

[2][(ख) 'अवैध प्रवासी' उस एक विदेशी से अभिप्रेत है जिसने भारतवर्ष में प्रवेश किया है—

(i) एक विधिमान्य पासपोर्ट या अन्य यात्रा-दस्तावेज और ऐसे अन्य दस्तावेज या प्राधिकार के बिना जिसे उस निमित्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाये; या

(ii) एक विधिमान्य पासपोर्ट या अन्य यात्रा-दस्तावेज और ऐसे अन्य दस्तावेज या प्राधिकार के साथ जिसे उस निमित्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाये लेकिन समय की अनुज्ञात अवधि के परे उसमें रहता है;]

(ग) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी देश के सम्बन्ध में "नागरिकता या राष्ट्रिकता विधि" से उस देश के विधान-मण्डल की कोई ऐसी अधिनियमित अभिप्रेत है जिसे उस देश की

---

1. 2004 के अधिनियम सं० 6 तक पूर्णतया यथा संशोधित।
2. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस देश की नागरिकता या राष्ट्रिकता के लिए उपबन्ध करने वाली अधिनियमिति घोषित किया हो ;

परन्तु दक्षिण अफ्रीका संघ के सम्बन्ध में ऐसी कोई भी अधिसूचना संसद के दोनों सदनों के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं निकाली जाएगी;

(घ) ''भारतीय कौन्सलेट'' से भारत सरकार के किसी कौन्सलीय आफिसर का वह कार्यालय जहाँ जन्म-रजिस्टर रखा जाता है, या जहाँ कोई कार्यालय न हो, वहाँ ऐसा कार्यालय जैसा विहित किया जाए, अभिप्रेत है;

(ङ) ''अप्राप्तवय'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

[1][(ङङ) ''भारत का विदेशी नागरिक'' उस व्यक्ति से अभिप्रेत है जो—

(i) एक विनिर्दिष्ट देश का एक नागरिक होने वाला भारतीय मूल का है, या

(ii) एक विनिर्दिष्ट देश का एक नागरिक होने के ठीक पूर्व भारत का एक नागरिक था,

और धारा 7क की उपधारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा भारत का एक विदेशी नागरिक होने के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है;]

(च) ''व्यक्ति'' के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि-निकाय नहीं आता चाहे वह निगमित हो या न हो;

(छ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

[2][(छछ) ''विनिर्दिष्ट देश'' चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक देश से अभिप्रेत है;

परन्तु यह तब जबकि केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसमें किसी प्रविष्टि के जोड़े जाने या लोप के रूप में कथित अनुसूची को संशोधित कर सकेगी।

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना यथाशक्य शीघ्रता से इसके प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष अधिलिखित की जायेगी।]

(ज) ''अविभक्त भारत'' से वह भारत अभिप्रेत है जो मूल रूप में, यथा-अधिनियमित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 में परिभाषित है।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा कि किसी रजिस्ट्रीकृत पोत या वायुयान के फलक पर अथवा किसी देश की सरकार के किसी अरजिस्ट्रीकृत पोत या वायुयान के फलक पर पैदा हुआ व्यक्ति, यथास्थिति, उस स्थान में, जहां वह पोत या वायुयान रजिस्ट्रीकृत है, या उस देश में पैदा हुआ था।

(3) इस अधिनियम में किसी व्यक्ति के जन्म के समय उस व्यक्ति के पिता की प्रास्थिति या अभिवर्णन के प्रति किसी निर्देश का अर्थ ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् पैदा हुआ है, यह माना जाएगा कि वह निर्देश पिता की मृत्यु के समय पिता की प्रास्थिति या अभिवर्णन के प्रति है; और जहां कि वह मृत्यु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व हुई थी और जन्म इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् हुआ है, वहां वह प्रास्थिति या अभिवर्णन, जो पिता को उस दशा में लागू होता जिसमें कि उसकी मृत्यु इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् हुई होती, उसकी मृत्यु के समय उसे लागू प्रास्थिति या अभिवर्णन समझा जाएगा।

(4) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि कोई व्यक्ति वयःप्राप्त है। यदि वह अप्राप्तवय नहीं है और पूर्ण सामर्थ्य का है यदि वह विकृतचित्त नहीं है।

## नागरिकता का अर्जन

[3][**3. जन्म से नागरिकता**—(1) उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय भारतवर्ष में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति—

(क) 26 जनवरी, 1950 को या उसके पश्चात् लेकिन 1 जुलाई, 1987 के पूर्व ;

---

1. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।
2. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।
3. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) 1 जुलाई, 1987 को या उसके पश्चात् लेकिन नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ होने के पूर्व या जिनके माता पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय पर भारतवर्ष का एक नागरिक है;

(ग) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात् जहाँ—

(i) उसके माता-पिता दोनों भारतवर्ष के नागरिक हैं ; या

(ii) जिसके माता-पिता में से एक भारतवर्ष का नागरिक है तथा दूसरा उसके जन्म के समय पर एक अवैधानिक प्रवासी नहीं है,

जन्म से भारतवर्ष का एक नागरिक होगा।

(2) एक व्यक्ति इस धारा के आधार पर भारतवर्ष का एक नागरिक नहीं होगा यदि उसके जन्म पर—

(क) या तो उसका माता या पिता उन वादों में एक विधिक आदेशिका से ऐसी उन्मुक्ति धारण करती है जो भारत के राष्ट्रपति को प्रत्यापित एक विदेशी सम्प्रभु शक्ति के एक दूत के अनुरूप की जाती है और वह (पुरुष या स्त्री), यथास्थिति भारतवर्ष का एक नागरिक नहीं है, या

(ख) उसके माता या पिता एक अन्य देशीय शत्रु हैं और जन्म शत्रु द्वारा अधिभोग के अधीन तभी एक स्थान पर होता है;]

**4. अवजनन द्वारा नागरिकता**—[1][(1) भारत के बाहर पैदा हुआ एक व्यक्ति विरासत द्वारा भारतवर्ष का एक नागरिक होगा—

(क) 26 जनवरी, 1950 को या उसके पश्चात्, लेकिन 10 दिसम्बर, 1992 के पूर्व यदि उसका पिता उसके जन्म के समय पर भारतवर्ष का एक नागरिक है; या

(ख) 10 दिसम्बर, 1992 को या उसके पश्चात् यदि उसके माता-पिता में कोई उसके जन्म के समय पर भारतवर्ष का एक नागरिक है।

परन्तु यह तब जब कि खण्ड (क) में निर्दिष्ट किए गये एक व्यक्ति का पिता मात्र अवजनन द्वारा भारतवर्ष का एक नागरिक था, तो वह व्यक्ति इस धारा के आधार पर भारतवर्ष का एक नागरिक नहीं होगा। जब तक—

(क) उसका जन्म इसके होने के एक वर्ष के अन्दर या इस अधिनियम के प्रारम्भ में जो कोई भी वाद का हो, या कथित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा से एक भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में रजिस्ट्रीकृत कराया जाता है।

(ख) उसका पिता उसके जन्म के समय पर भारत सरकार के अधीन सेवारत है;

परन्तु यह और कि यदि खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किए गये एक व्यक्ति के माता-पिता में से कोई मात्र अवजनन द्वारा भारतवर्ष का एक नागरिक था, तो वह व्यक्ति इस धारा के आधार पर भारतवर्ष का एक नागरिक नहीं होगा, जब तक—

(क) उसका जन्म इसके होने के एक वर्ष के अन्दर या 10 दिसम्बर, 1992 को या उसके पश्चात् जो कोई भी वाद का हो, या केन्द्रीय सरकार के अनुज्ञा के साथ कथित कालावधि के पश्चात् भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में रजिस्ट्रीकृत नहीं करा दिया जाता है;

(ख) उसके माता-पिता में से कोई उसके जन्म के समय पर भारत सरकार के अधीन सेवारत है;

परन्तु यह और भी कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात् एक व्यक्ति इस धारा के आधार पर भारतवर्ष का एक नागरिक नहीं होगा जब तक उसके जन्म को ऐसे प्ररूप एवं ऐसी रीति से भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में रजिस्ट्रीकृत नहीं कराया जाता है जैसा विहित हो—

(i) इसके होने के एक वर्ष के अन्दर या नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ होने पर, जो कोई भी बाद का हो, या

1. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ii) केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के साथ कथित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् ;

परन्तु यह और भी कि कोई ऐसा जन्म रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा जब तक ऐसे व्यक्ति के माता-पिता ऐसे प्ररूप में एवम् ऐसी रीति से जिसे विहित किया जाये यह घोषणा नहीं करते हैं कि क्या अप्राप्तवय एक दूसरे देश के पासपोर्ट को धारण नहीं करता है।

(1क) एक अवयस्क, जो इस धारा के आधार पर भारतवर्ष का एक नागरिक है और किसी दूसरे देश का भी एक नागरिक है भारतवर्ष का एक नागरिक नहीं रह जायेगा यदि वह पूर्ण आयु प्राप्त करने से छः माह के अन्दर एक दूसरे देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का त्याग नहीं कर देता हो।]

(2) यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा निर्देश देती है, तो इस बात के होते हुए भी कि रजिस्ट्रीकरण से पूर्व उसकी अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं की गई थी, यह समझा जाएगा कि कोई जन्म इस धारा के प्रयोजनों के लिए उसकी अनुज्ञा से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

(3) उपधारा (1) के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि अविभक्त भारत के बाहर पैदा हुआ कोई भी पुरुष व्यक्ति, जो संविधान के प्रारम्भ के समय भारत का नागरिक था या समझा जाता था, अवजनन द्वारा ही भारत का नागरिक है।

**5. रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता**—[1][(1) इस धारा के उपबंधों तथा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों द्वारा जिन्हें विहित किया जाये, के अध्यधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार इस निमित्त प्रस्तुत किए गये एक आवेदनपत्र पर उसको एक अवैध प्रवासी न होने वाले किसी व्यक्ति को भारत का एक नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर सकेगी जो संविधान या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध द्वारा पहले से ही ऐसा नागरिक नहीं है। यदि वह निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक का हो अर्थात्—

(क) भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकरण के लिए एक आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने के पूर्व 7 वर्षों से भारतवर्ष में साधारण तौर पर निवास करता है;

(ख) भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो अविभक्त भारतवर्ष के बाहर या किसी देश या स्थान में साधारण तौर पर निवास करता है;

(ग) एक व्यक्ति जिसका विवाह भारतवर्ष में एक नागरिक के साथ किया जाता है और रजिस्ट्रीकरण के लिए एक आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने के पूर्व 7 वर्षों से भारतवर्ष में साधारण तौर पर निवास करता है;

(घ) व्यक्तियों की अप्राप्तवय वे सन्तान जो भारतवर्ष के नागरिक हैं।

(ङ) पूर्ण आयु एवं सामर्थ्य का एक व्यक्ति जिसके माता-पिता को धारा 6 की उपधारा (1) या इस उपधारा के खण्ड (क) के अधीन भारतवर्ष के नागरिकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है;

(च) पूर्ण आयु एवं सामर्थ्य का एक व्यक्ति जो, या उसके माता-पिता में से कोई स्वतन्त्र भारत का पूर्वतर नागरिक था और रजिस्ट्रीकरण के लिए एक आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने के ठीक पूर्व 1 वर्ष से भारतवर्ष में निवास कर रहा है;

(छ) पूर्ण आयु एवं सामर्थ्य का एक व्यक्ति जिसको 5 वर्षों से भारतवर्ष का 1 विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया है और जो रजिस्ट्रीकरण के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दो वर्ष पूर्व से भारतवर्ष में निवास कर रहा है;

*स्पष्टीकरण 1*— खण्ड (क) एवं (ग) के प्रयोजनार्थ एक आवेदक साधारण तौर पर भारतवर्ष में निवासी माना समझा जायेगा यदि—

(i) यदि उसने रजिस्ट्रीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करने के ठीक पूर्व 12 माह की कालावधि से सम्पूर्ण भारतवर्ष में निवास किया है;

(ii) उसने छः वर्षों से कम की नहीं एक कालावधि से 12 माह की कथित कालावधि के ठीक पूर्व आठ वर्षों के दौरान भारतवर्ष में निवास किया है।

---

1. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

*स्पष्टीकरण 2*—इस धारा के प्रयोजनार्थ एक व्यक्ति को भारतीय मूल का होना समझा जायेगा यदि वह या उसके माता-पिता में से कोई अविभक्त भारतवर्ष में या ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् भारतवर्ष का भाग हो गया में पैदा हुआ था।]

(2) कोई भी वय:प्राप्त व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन भारत के नागरिक के रूप में तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक उसने द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो।

(3) कोई भी भारतीय व्यक्ति जिसने अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी है या जो उससे वंचित कर दिया गया है या जिसकी भारतीय नागरिकता इस अधिनियम के अधीन पर्यवसित हो गई है, उपधारा (1) के अधीन भारतीय नागरिक के रूप में केन्द्रीय सरकार के आदेश के बिना रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा।

(4) यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण को न्यायोचित ठहराने वाली विशेष परिस्थितियाँ हैं; तो वह किसी अप्राप्तवय को भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर सकेगी।

(5) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण द्वारा भारत का नागरिक उस तारीख से ही हो जाएगा जिसको वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किया जाता है; और संविधान के अनुच्छेद 6 के खण्ड (ख) (ii) के या अनुच्छेद 8 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति संविधान के प्रारम्भ से या उस तारीख से ही जिसको वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किया गया था, इनमें से जो भी पश्चात्‌वर्ती हो, रजिस्ट्रीकरण द्वारा भारत का नागरिक समझा जाएगा।

[1][(6) यदि केन्द्र सरकार का यह समाधान कर दिया जाता है कि परि वे परिस्थितियां विद्यमान हैं जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के एक वर्ग को उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन आवासिक अपेक्षा से छूट प्रदान करने के लिए इसको आवश्यक बना देता है तो यह लेख में अभिलिखित किए गये कारणोंवश ऐसी छूट प्रदान कर सकेगा।]

[2]**6. देशीयकरण द्वारा नागरिकता**—(1) जहाँ कि वय:प्राप्त और पूर्ण सामर्थ्य के किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, [3][अवैधानिक प्रवासी न होने वाला] देशीयकरण प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए विहित रीति में आवेदन किया जाता है, वहाँ यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि आवेदक तृतीय अनुसूची के उपबंधों के अधीन देशीयकरण के लिए अर्हित है, तो उसे देशीयकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगी :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय में आवेदक ऐसा व्यक्ति है जिसने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शान्ति या साधारणत: मानव प्रगति के निमित्त विशिष्ट सेवा की है तो वह तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट सब शर्तों का या उनमें से किसी का भी अधित्यजन कर सकेगी।

(2) जिस व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन देशीकरण प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया है वह द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में राजनिष्ठा की शपथ लेने पर उस तारीख से ही जिसको वह प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक होगा।

**6-क. आसाम समझौते के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में विशेष उपबन्ध**—(1) इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) ''आसाम'' से अभिप्रेत है, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व आसाम राज्य के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र;

(ख) ''विदेशी होने का पता चलाना'' से अभिप्रेत है विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 और विदेशियों विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 के उपबन्धों के अनुसार उक्त आदेश के अधीन गठित अधिकरण द्वारा विदेशी होने का पता चलाना;

(ग) ''विनिर्दिष्ट क्षेत्र'' से अभिप्रेत है, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व बंगला देश में सम्मिलित क्षेत्र;

(घ) कोई व्यक्ति भारतीय मूल का हो जायेगा, यदि वह, या उसके माता-पिता या मातामह या मातामही अथवा पितामह या पितामही अविभाजित भारत में जन्मे थे;

---

1. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित।
2. 1985 के अधिनियम सं० 65 द्वारा (7-12-85) से अन्त:स्थापित।
3. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ङ) किसी व्यक्ति के विदेशी होने के बारे में उस तारीख को पता चलाना समझा जाएगा जिसको कि विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 के अधीन गठित अधिकरण उस प्रभाव की अपनी राय सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकारी को भेज देता है, कि वह विदेशी है।

(2) उपधाराओं (6) और (7) के अध्यधीन रहते हुए, भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र से जनवरी, 1966 के पहले दिन के पूर्व आए हैं उनमें से ऐसों को सम्मिलित करते हुए जिनके नाम 1967 में हुए लोक सभा के आम चुनाव के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त निर्वाचन नामावलियों में सम्मिलित थे और जो उनके आसाम में प्रवेश की तारीख से आसाम के साधारण निवासी रहे हैं, जनवरी 1966 के प्रथम दिन से भारत के नागरिक समझे जाएँगे।

(1) उपधाराओं (6) और (9) के अध्यधीन रहते हुए, भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो—

(क) विनिर्दिष्ट क्षेत्र से जनवरी 1966 के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् किन्तु मार्च, 1971 के 25 वें दिन के पूर्व आसाम में आया हो; और

(ख) उसके आसाम में प्रवेश की तारीख से, आसाम का साधारणतया निवासी रहा है; या

(ग) जिसके विदेशी होने का पता चलाया गया है;

धारा 18 के अधीन इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार स्वयं को ऐसे प्राधिकारी के पास एतद्पश्चात् इस उपधारा में रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट रजिस्टर कराएगा जैसा 'ऐसे नियमों में विनिर्दिष्ट किया जा सके और यदि ऐसे पता चलाए जाने की तारीख को उसका नाम किसी विधान सभा या संसदीय क्षेत्र में सम्मिलित हो तो उसका नाम इसमें से हटा दिया जाएगा।

*स्पष्टीकरण*—उस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, ऐसे व्यक्ति को विदेशी होना अभिनिर्धारित करने वाले विदेशियों विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 के अधीन गठित अधिकरण की राय इस उपधारा के खण्ड (ग) के अधीन अपेक्षा का पर्याप्त समझी जाएगी और यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या ऐसा व्यक्ति इस उपधारा की अन्य अपेक्षाओं का पालन करता है, तो रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी—

(i) यदि ऐसी राय में अन्य अपेक्षाओं की बाबत निष्कर्ष अन्तर्विष्ट हो तो ऐसे निष्कर्ष की पुष्टि में प्रश्न का निर्णय करेगा ;

(ii) यदि ऐसी राय में अन्य अपेक्षाओं की बाबत निष्कर्ष अन्तर्विष्ट न हो, तो धारा 18 के अधीन इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उक्त आदेश के अधीन गठित अधिकरण को वह प्रश्न निर्दिष्ट करेगा तथा ऐसे निर्देश पर प्राप्त राय की पुष्टि में प्रश्न का निर्णय करेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के, उस तारीख से जिसको कि उसके विदेशी होने का पता चलाया गया हो और ऐसी तारीख के दस वर्षों की कालावधि के अवसान तक, वही अधिकार और बाधाएँ होंगी जैसी कि भारत के नागरिक को होती है। (पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधीन पासपोर्ट अभिप्राप्त करने के अधिकार तथा उसके सम्बद्ध बाध्यताओं को सम्मिलित करते हुए), किन्तु वह किसी विधान सभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियों में उक्त दस वर्षों की कालावधि के अवसान के पूर्व किसी समय अपना नाम सम्मिलित कराने का हकदार नहीं होगा।

(5) धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस तारीख से, जिसको कि उसके विदेशी होने का पता चलाया गया था, दस वर्षों की कालावधि का अवसान होने की तारीख से सभी प्रयोजनों के लिए भारत का नागरिक होना समझा जाएगा।

(6) धारा 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—

(क) यदि उपधारा (3) में निर्दिष्ट की व्यक्ति नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ की तारीख से साठ दिनों के भीतर विहित रीति और प्रारूप में और विहित प्राधिकारी को वह घोषणा प्रस्तुत कर देता है कि वह भारत का नागरिक होने का इच्छुक नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति उस उपधारा के अधीन भारत का नागरिक हो जाना नहीं समझा जाएगा;

(ख) यदि उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ की तारीख से या उस तारीख से जिसकी को उसकी विदेशी होने का पता चलाया

गया था, जो भी बाद की हो, साठ दिवस के भीतर विहित रीति और प्रारूप में तथा विहित प्राधिकारी को यह घोषणा प्रस्तुत कर देता है कि वह उस उपधारा और उपधाराओं (4) और (5) के उपबन्धों द्वारा शासित होने का इच्छुक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को उपधारा (5) के अधीन स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करना आवश्यक नहीं होगा।

*स्पष्टीकरण*—जहाँ इस उपधारा के अधीन घोषणा फाइल करने को अपेक्षित व्यक्ति संविदा करने को सक्षम नहीं हो, तो ऐसी घोषणा उसकी ओर से कार्य करने को तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा फाइल की जा सकेगी।

(7) उपधाराओं (2) से (6) की कोई बात किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी, जो—

(क) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व भारत का नागरिक है;

(ख) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) के अधीन, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व, भारत से निष्कासित किया गया था।

(8) इस धारा में अभिव्यक्तरूपेण अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस धारा के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई बात अन्तर्विष्ट होने पर भी लागू होंगे।

**7. राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता**—(1) यदि कोई राज्यक्षेत्र भारत का भाग बन जाता है, तो केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो उस राज्यक्षेत्र से अपने संघर्ष के कारण भारत के नागरिक होंगे; और वे व्यक्ति भारत के नागरिक उस तारीख से ही, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएगी, हो जाएंगी।

## [1][ विदेशी नागरिकता

**7-क. विदेशी नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण**—(1) केन्द्रीय सरकार व्यतिकारिता की शर्त को सम्मिलित कर ऐसी शर्तों एवं निर्बन्धनों जिन्हें विहित किया जाय के अध्यधीन रहते हुए इस निमित्त प्रस्तुत किए गये आवेदन पत्र पर भारतवर्ष के एक विदेशी नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा। यदि—

(क) वह व्यक्ति पूर्ण आयु एवं सामर्थ्य का भारतीय मूल का हो जो एक विनिर्दिष्ट देश का एक नागरिक है ; या

(ख) वह व्यक्ति उस पूर्ण आयु एवं सामर्थ्य का है जिसने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003 के प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात् एक विनिर्दिष्ट देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है; या

(ग) वह व्यक्ति खण्ड (क) या खण्ड (ख) में वर्णित एक अप्राप्तवय व्यक्ति है।

(2) उपधारा (1) के अधीन भारतवर्ष का एक अन्य देशीय नागरिक होने के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया गया व्यक्ति उसी ही तारीख से भारतवर्ष का एक अन्य देशीय नागरिक होगा जिस पर उसका इस प्रकार से रजिस्ट्रीकरण किया जाता है।

(3) किसी भी व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन उसको भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा चुका है केन्द्रीय सरकार के एक आदेश को छोड़कर उपधारा (1) के अधीन भारतवर्ष के एक अन्य देशीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा।

*स्पष्टीकरण*—इस धारा, और धारा 7ख, 7ग एवं 7घ के प्रयोजनार्थ पद ''भारतीय मूल का व्यक्ति'' एक दूसरे देश के उस नागरिक से अभिप्रेत होगा जो—

(i) संविधान के प्रारम्भ के समय पर भारत का एक नागरिक होने का पात्र था;

(ii) उस राज्य क्षेत्र का या जो 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् भारतवर्ष का भाग बन गया; और

(iii) खण्ड (i) एवं (ii) के अधीन आच्छादित किए गये एक व्यक्ति की सन्तानें एवं बड़ी सन्तानें, लेकिन इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति नहीं आता है जो किसी समय पाकिस्तान, बंगलादेश या ऐसा अन्य देश जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, का एक नागरिक है या रह चुका था।

---

1. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित।

**7-ख. भारतवर्ष के अन्य देशीय नागरिकों को अधिकारों का प्रदान किया जाना**—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भारत का एक अन्य देशीय नागरिक (उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारों से भिन्न) ऐसे अधिकारों का हकदार होगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें।

(2) भारत का एक अन्य देशीय नागरिक भारत के एक नागरिक को प्रदत्त अधिकारों का हम पर नहीं होगा—

(क) लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता के बारे में संविधान के अनुच्छेद 16 के अधीन;

(ख) राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए संविधान के अनुच्छेद 58 के अधीन;

(ग) उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संविधान के अनु० 66 के अधीन;

(घ) उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु संविधान के अनुच्छेद 124 के अधीन;

(ङ) उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 217 के अधीन;

(च) मतदाता के रूप में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 के अधीन;

(छ) यथास्थिति लोकसभा का या राज्यसभा का एक सदस्य होने की पात्रता के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधि० 1951 (1951 का 43) की धारा 3 एवं 4 के अधीन;

(ज) एक राज्य की यथास्थित विधान सभा या विधान परिषद् का एक सदस्य होने की पात्रता के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधि० 1951 (1951/43) की धारा 5-क एवं 6 के अधीन;

(झ) ऐसी सेवायें एवं पदों जिन्हें केन्द्रीय सरकार उस निमित्त विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, में नियुक्ति को छोड़कर संघ के या किसी अन्य राज्य के मामलों के संगत लोक सेवायें एवं पदों पर नियुक्ति के लिए।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

**7-ग. अन्य देशीय नागरिकता का त्यजन**—(1) यदि पूर्ण आयु एवं सामर्थ्य के भारतवर्ष का कोई अन्य देशीय नागरिक भारतवर्ष को अपनी अन्य देशीय नागरिकता की त्यजन करने की एक घोषणा विहित रीति से करता है तो घोषणा केन्द्रीय सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत की जायेगी और ऐसी रजिस्ट्रीकरण पर वह व्यक्ति भारतवर्ष का एक अन्य देशीय नागरिक नहीं रह जायेगा।

(2) जहां एक व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन भारतवर्ष का अन्य देशीय नागरिक नहीं रह जाता है वहाँ भारतवर्ष का एक अन्य देशीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत उस व्यक्ति का प्रत्येक अप्राप्तवय संतान तदुपरि भारतवर्ष का एक अन्य देशीय नागरिक नहीं रह जायेगा।

**7-घ. भारतवर्ष के अन्य देशीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना**—केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा धारा 7क की उपधारा (1) के अधीन मंजूर किए गये रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा यदि यह समाधान कर दिया जाता है कि—

(क) भारतवर्ष का एक आय देशीय नागरिक होने के रूप में रजिस्ट्रीकरण कपट मिथ्या व्यपदेशन या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के साधनों द्वारा प्राप्त किया गया; या

(ख) भारतवर्ष के अन्य देशीय नागरिक ने स्थापित विधि द्वारा जैसे भारत के संविधान की दशा में द्रोह प्रदर्शित किया है; या

(ग) भारत के अन्य देशीय नागरिक ने किसी युद्ध के दौरान जिसमें भारतवर्ष को नियोजित किया जा सकेगा अवैधानिक ढंग से व्यवसाय किया है या एक शत्रु को संसूचित किया है, या किसी भी कार्य या उस वाणिज्यिक क्रिया-कलाप में नियोजित किया गया है या सहयोजित किया गया है जो उसकी जानकारी में ऐसी रीति से किया गया जो उस युद्ध में एक शत्रु की सहायता कर सके;

(घ) भारतवर्ष के अन्य देशीय नागरिक को धारा 7क की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् 5 वर्षों के अन्दर दो वर्षों से न कम होने वाली एक कालावधि से कारावास का दण्डादेश दिया गया है; या

(ङ) यह भारतवर्ष की सम्प्रभुता एवं अखण्डता, भारतवर्ष की सुरक्षा किसी विदेशी राष्ट्र से भारतवर्ष के मैत्रीपूर्व सम्बन्धों के हित में या जनसाधारण के हित में वैसा करना आवश्यक है।]

## नागरिकता का पर्यवसान

**8. नागरिकता का त्यजन**—(1) यदि वय:प्राप्त और पूर्ण सामर्थ्य का भारत का कोई नागरिक [1][* * *] अपनी भारतीय नागरिकता के त्यजन की घोषणा विहित रीति में करता है, तो वह घोषणा विहित प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत की जाएगी; और ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर वह व्यक्ति भारत का नागरिक न रह जाएगा :

परन्तु यदि ऐसी कोई घोषणा किसी ऐसे युद्ध के दौरान की जाती है जिसमें भारत लगा हुआ हो, तो उसका रजिस्ट्रीकरण तब तक विधारित रखा जाएगा जब तक केन्द्रीय सरकार अन्यथा निर्देश नहीं दे देती।

(2) जहां कि कोई पुरुष व्यक्ति भारत का नागरिक उपधारा (1) के अधीन नहीं रह जाता है, वहाँ उस व्यक्ति का हर अप्राप्तवय बच्चा तदुपरि भारत का नागरिक न रह जाएगा :

परन्तु ऐसा कोई भी बच्चा वय:प्राप्त हो जाने के पश्चात् एक वर्ष के अन्दर यह घोषणा [2][विहित प्रारूप एवं रीति से] कर सकेगा कि वह भारतीय नागरिकता पुनर्ग्रहण करना चाहता है और तदुपरि वह पुन: भारत का नागरिक हो जाएगा।

[3](3) [* * *]

**9. नागरिकता का पर्यवसान**—(1) भारत का कोई नागरिक जो किसी अन्य देश की नागरिकता देशीकरण द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा या अन्यथा स्वेच्छया अर्जित कर लेता है या जिसने 26 जनवरी, 1950 और इस अधिनियम के प्रारम्भ के बीच किसी समय स्वेच्छया अर्जित कर ली है, यथास्थिति ऐसे अर्जन या ऐसे प्रारम्भ पर भारत का नागरिक न रह जाएगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात भारत के ऐसे नागरिक को, जो किसी ऐसे युद्ध के दौरान, जिसमें भारत लगा हुआ हो, किसी अन्य देश की नागरिकता का अर्जन स्वेच्छया करता है, तब तक लागू नहीं होगी जब तक केन्द्रीय सरकार अन्यथा निर्देश नहीं दे देती।

(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या, कब या कैसे किसी [4][भारत का नागरिक] ने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित की है तो उसका अवधारण ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में और साक्ष्य के ऐसे नियमों का ध्यान रखते हुए किया जाएगा जैसे इस निमित्त विहित किए जाएं।

**10. नागरिकता से वंचित किया जाना**—(1) भारत का नागरिक जो देशीकरण द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 5 के खण्ड (ग) के ही आधार पर ऐसे रजिस्ट्रीकरण द्वारा, जो संविधान के अनुच्छेद 6 के खण्ड (ख) (ii) या इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन के रजिस्ट्रीकरण से भिन्न है, भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा यदि उसे इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा उस नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है।

(2) इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी नागरिक को भारतीय नागरिकता के आदेश द्वारा उस दशा में वंचित कर सकेगी जिसमें कि उसका समाधान हो जाता है कि—

(क) रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण का प्रमाणपत्र कपट, मिथ्या व्यपदेशन या किसी तात्विक तथ्य को छिपाने द्वारा अभिप्राप्त किया गया था; अथवा

---

1. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 8 द्वारा विलुप्त किया गया।
2. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 8 द्वारा अन्त:स्थापित।
3. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 8 द्वारा विलुप्त किया गया।
4. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) उस नागरिक ने अपने आपको कार्य या वाणी द्वारा या विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति अभक्त अप्रीतिपूर्ण दर्शित किया है; अथवा

(ग) उस नागरिक ने किसी ऐसे युद्ध के दौरान, जिसमें भारत लगा हुआ हो, किसी शत्रु देश के साथ विधिविरुद्ध व्यापार किया है या संचार किया है या वह किसी ऐसे कारबार में लगा रहा या उससे सहयुक्त रहा है जिसके बारे में उसे यह ज्ञान था कि वह ऐसी रीति में चलाया जा रहा है कि उससे उस युद्ध में शत्रु को सहायता मिले; अथवा

(घ) वह नागरिक रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण के पश्चात् पांच वर्ष के अन्दर किसी देश में दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए कारावास से दण्डादिष्ट हो चुका है; अथवा

(ङ) वह नागरिक सात वर्ष की निरन्तर कालावधि के लिए भारत के बाहर मामूली तौर से निवासी रहा है और उस कालावधि के दौरान किसी भी समय वह न तो भारत के बाहर किसी देश में किसी शिक्षा संस्था का विद्यार्थी या भारत में किसी सरकार की अथवा किसी ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की, जिसका भारत सदस्य है, सेवा में रहा है और न उसने भारत की नागरिकता को प्रतिधारित करने के आशय को किसी भारतीय कौन्सलेट में विहित रीति में प्रतिवर्ष रजिस्ट्रीकृत किया है।

(3) केन्द्रीय सरकार इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक के सिवाय नागरिकता से वंचित नहीं करेगी जब तक कि उसका समाधान हो जाता है कि यह लोक कल्याण का साधक नहीं है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक बना रहे।

(4) इस धारा के अधीन आदेश करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध आदेश करने की प्रस्थापना है, लिखित रूप में ऐसी सूचना देगी जिसमें उसे उस आधार की, जिस पर उस आदेश के लिए जाने की प्रस्थापना है, और यदि वह आदेश उपधारा (2) में, उसके खण्ड (ङ) को छोड़कर, विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार पर करने की प्रस्थापना है तो इस बात की कि विहित रीति में तन्निमित्त आवेदन करने पर इस धारा के अधीन जाँच समिति को अपना मामला निर्देशित कराने का उसे अधिकार है, इत्तिला दी गई होगी।

(5) यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश उपधारा (2) में, उसके खण्ड (ङ) को छोड़कर विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार पर करने की प्रस्थापना है और वह व्यक्ति विहित रीति में ऐसे आवेदन करता है, तो केन्द्रीय सरकार वह मामला ऐसी जाँच समिति को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अध्यक्ष से (जो ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कम से कम दस वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण किया है) और दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनी होगी, निर्देशित करेगी और किसी अन्य दशा में उस मामले को निर्देशित कर सकेगी।

(6) जाँच समिति ऐसे निर्देशन पर जाँच ऐसी रीति में करेगी जैसी विहित की जाए और अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को निवेदित करेगी और केन्द्रीय सरकार का इस धारा के अधीन आदेश करने में मार्गदर्शन मामूली तौर से ऐसी रिपोर्ट द्वारा होगा।

## अनुपूरक

[1]11. [* * *]

[2]12. [* * *]

13. **संदेह की दशा में नागरिकता का प्रमाणपत्र**—केन्द्रीय सरकार ऐसे मामलों में; जिनमें वह ठीक समझती है यह प्रमाणित कर सकेगी कि कोई व्यक्ति, जिसकी भारत में नागरिकता के बारे में कोई संदेह विद्यमान है, भारत का नागरिक है, और इस धारा के अधीन निकाला गया प्रमाणपत्र तब के सिवाय जब कि वह साबित कर दिया जाता है कि वह कपट, मिथ्या व्यपदेशन या किसी तात्विक तथ्य को छिपाने द्वारा अभिप्राप्त किया गया था, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि वह व्यक्ति उस प्रमाणपत्र की तारीख को ऐसा नागरिक था किन्तु वह किसी ऐसे साक्ष्य पर कि वह उससे पूर्व किसी तारीख को ऐसा नागरिक था, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

---

1. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 10 द्वारा निरस्त।
2. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 10 द्वारा निरस्त।

**14. धाराएँ 5 और 6 के अधीन आवेदन का निपटारा**—(1) विहित प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार स्वविवेकानुसार [1][धारा 5, धारा 6 और धारा 7-क] के अधीन किसी आवेदन को मंजूर या नामंजूर कर सकेगी और ऐसी मंजूरी या नामंजूरी के लिए कोई कारण देने के लिए अपेक्षित नहीं होगी।

(2) धारा 15 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विहित प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय किसी यथापूर्वोक्त आवेदन पर अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

[2][**14-क. राष्ट्रीय परिचय पत्र का जारी किया जाना**—(1) केन्द्रीय सरकार अनिवार्यतः भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को रजिस्ट्रीकृत करेगी तथा उसको राष्ट्रीय परिचय पत्र जारी करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार भारतीय नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर रख सकेगी और उस प्रयोजनार्थ एक राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को स्थापित कर सकेगी।

(3) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या उससे जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 (1969 का 18) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गये भारतीय महानिबंधक राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा और वह नागरिक रजिस्ट्रीकरण का महानिबन्धक के रूप में कृत्य करेगा।

(4) केन्द्रीय सरकार ऐसे अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारी वृंद को नियुक्त कर सकेगी जिनकी उसके कृत्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने में नागरिकता रजिस्ट्रीकरण के महानिबंधक की सहायता करने की अपेक्षा की जाये।

(5) भारतवर्ष के नागरिकों की अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा विहित किया जाये।]

**15. पुनरीक्षण**—(1) विहित प्राधिकारी या किसी आफिसर या (केन्द्रीय सरकार से भिन्न) अन्य प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के अन्दर आदेश के पुनरीक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार से आवेदन कर सकेगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि आवेदक समय पर आवेदन करने में पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो वह ऐसे आवेदन को तीस दिन की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार व्यथित व्यक्ति के आवेदन और उस पर हुई किसी रिपोर्ट पर, जो आदेश करने वाला आफिसर या प्राधिकारी निवेदित करे, विचार करने के पश्चात् उस आवेदन के सम्बन्ध में ऐसा आदेश करेगी जैसा वह ठीक समझती है और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

[3][ **15-क. पुनर्विलोकन**—(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गये एक आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिनों के अन्दर ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन हेतु एक आवदेन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा;

परन्तु यह तब जबकि राज्य सरकार 30 दिनों की कथित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् एक आवेदन पत्र को ग्रहण कर सकेगा यदि यह समाधान कर दिया जाता है कि आवेदक को समय से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पर्याप्त हेतुक द्वारा रोका गया।

परन्तु यह और भी कि धारा 14-क के उपबन्धों के निबन्धनों पर पारित किए गये एक आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन पत्र का निपटारा प्रक्रिया में उपबन्धित उस रीति से किया जायेगा जिसे धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (ik) के अधीन अधिलिखित किया जा सके।

(2) उपधारा (1) के अधीन एक आवेदनपत्र की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार ऐसा आदेश कर सकेगी जैसा वह उपयुक्त समझे और ऐसे पुनर्विलोकन पर केन्द्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।]

---

1. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित।
3. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 13 द्वारा अंतःस्थापित।

**16. शक्तियों का प्रत्यायोजन**—केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि कोई व्यक्ति, जो उसे इस अधिनियम के उसकी धारा 10 और धारा 18 के उपबंधों से भिन्न उपबंधों में से किसी उपबंध द्वारा प्रदत्त की गई है, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो; अधीन जैसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे आफिसर या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी जैसा इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाए।

**17. अपराध**—जो कोई व्यक्ति किसी बात का इस अधिनियम के अधीन किया जाना या न किया जाना उपाप्त करने के प्रयोजन के लिए जानते हुए कोई ऐसा व्यपदेशन करेगा जो किसी तात्विक विशिष्ट में मिथ्या है, वह कारावास से जिसकी अवधि [1][पाँच वर्ष] तक की हो सकेगी या [2][उस जुर्माने से जिसका विस्तार पचास हजार रुपये तक हो सकेगा], या दोनों से, दण्डनीय होगा।

**18. नियम बनाने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे—

(क) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत किसी बात का रजिस्ट्रीकरण तथा ऐसे रजिस्ट्रीकरण के बारे में शर्तें और निर्बन्धन;

[3][(कक) उस प्रारूप एवं रीति से जिसमें धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन एक घोषणा की जायेगी;]

(ख) वे प्रारूप जो इस अधिनियन के अधीन उपयोग में लाए जाएंगे और वे रजिस्टर जो इस अधिनियम के अधीन रखे जाएंगे;

(ग) इस अधिनियम के अधीन राजनिष्ठा की शपथ दिलाना और लेना और वह समय जिसके अन्दर और वह रीति जिसमें ऐसी शपथ ली जाएगी और अभिलिखित की जाएगी;

(घ) किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत किसी सूचना का दिया जाना;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन नागरिकता से वंचित किए गए व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण और उनसे सम्बद्ध देशीकरण के प्रमाणपत्रों का परिदत्त किया जाना;

[4][(ङङ) वह रीति और प्रारूप जिसमें तथा वह प्राधिकारी जिसे धारा 6-क की उपधारा 6 के खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट घोषणा फाइल की जाएगी और ऐसी घोषणाओं से संबंधित अन्य विषय;]

(च) भारत के बाहर पैदा होने वाले या मरने वाले किसी वर्ग या अभिवर्णन के व्यक्तियों के जन्मों और मृत्युओं का भारतीय कौन्सलेटों में रजिस्ट्रीकरण;

(छ) इस अधिनियम के अधीन के आवेदनों, रजिस्ट्रीकरणों, घोषणाओं और प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में, राजनिष्ठा की शपथ लेने के सम्बन्ध में और दस्तावेजों की प्रमाणित या अन्य प्रतियों के प्रदाय के सम्बन्ध में फीसों का उद्ग्रहण और संग्रहण;

(ज) किसी अन्य देश की नागरिकता के अर्जन के प्रश्न को अवधारित करने के लिए प्राधिकारी, वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और ऐसे मामलों से सम्बद्ध साक्ष्य के नियम;

(झ) वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण धारा 10 के अधीन नियुक्त की गई जाँच समितियों द्वारा किया जाएगा और ऐसी समितियों को सिविल न्यायालयों की शक्तियों, अधिकारों और विशेषाधिकारों में से किसी का परिदान;

[5][(झक) धारा 14-क की उपधारा (5) के अधीन भारतवर्ष के नागरिकों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;]

---

1. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 15 द्वारा अंत:स्थापित।
4. अधिनियम क्रमांक 65 सन् 1985 द्वारा (7-12-85 से) अंत:स्थापित।
5. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 15 द्वारा अंत:स्थापित।

(ञ) वह रीति जिसमें पुनरीक्षण के लिए आवदेन किया जा सकेगा और वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण ऐसे आवेदनों को निपटाने में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा; तथा

(ट) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या किया जाए।

(3) इस धारा के अधीन कोई नियम बनाने में केन्द्रीय सरकार यह उपबंध कर सकेगी कि उसका भंग होने पर जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

[1][परन्तु यह तब जबकि उपखण्ड (2) के खण्ड (झक) में विनिर्दिष्ट एक मामले को बाबत निर्मित किया गया कोई नियम यह प्रावधान कर सकेगा कि उसका भंग उस एक अवधि के कारावास से जो तीन महीने तक विस्तारित हो सकेगा या जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।]

(4) इस धारा के अधीन बनाए गए सब नियम, अपने बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष चौदह दिन से अन्यून समय के लिए रखे जाएंगे और ऐसे रुपान्तरों के अध्यधीन होंगे जैसे संसद उस सत्र के दौरान करे जिसमें वे इस प्रकार रखे जाते हैं।

**19. निरसन**—[निरसन और संशोधन अधिनियम, 1960 (1960 का 58) द्वारा निरसित किया गया।]

[2][* * *]

## [3][द्वितीय अनुसूची

## देखें धारा 5(2) एवं 6(2)

## राज्यनिष्ठा का शपथ

मैं क/ख..............सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ (या शपथ लेता हूँ) कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारतवर्ष के संविधान के प्रति सत्य निष्ठा एवं राज्य निष्ठा अवश्य धारण करूँगा और मैं सत्यनिष्ठा से भारत वर्ष के एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को अवश्य पूरा करूँगा और भारत की विधियों का सत्यनिष्ठा से अवश्य पालन करूँगा।]

## तृतीय अनुसूची

## [धारा 6 (1) देखिए]

## देशीयकरण के लिए अर्हताएँ

ऐसे व्यक्ति के देशीयकरण के लिए, जो प्रथम अनुसूची में [4][* * *], अर्हताएँ यह हैं कि—

(क) वह किसी ऐसे देश की प्रजा या नागरिक नहीं है जहाँ भारत के नागरिक देशीकरण द्वारा उस देश की प्रजा या नागरिक बनने से उस देश की विधि या प्रथा द्वारा निवारित है,

(ख) यदि वह किसी देश का नागरिक है [5][उसने स्वीकृति की जाने वाली भारतीय नागरिकता हेतु अपने आवेदन पत्र के मामले में उस देश की नागरिकता का त्यजन करने से वचनबद्ध होता है।]

(ग) आवेदन की तारीख से अव्यवहित पूर्व की बारह मास की कालावधि भर वह या तो भारत में निवासी रहा है या भारत में किसी सरकार की सेवा में रहा है अथवा भागत: निवासी रहा है और

(घ) बारह मास की उक्त कालावधि से अव्यवहित पूर्व के [6][चौदह वर्ष] के दौरान वह ऐसी कालावधियों के लिए जो कुल मिलाकर [7][ग्यारह वर्ष] से कम नहीं है या तो भारत में

1. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 15 द्वारा अंत:स्थापित।
2. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 16 द्वारा प्रथम अनुसूची का लोप किया गया।
3. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित
4. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 18 द्वारा जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट "एक देश का नागरिक नहीं है" लोप किया गया।
5. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. 2004 के अधिनियम सं० 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. 2004 के अधिनियम सं० 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

निवासी रहा है या भारत में की किसी सरकार सेवा में रहा है अथवा भागत: निवासी रहा है और भागत: सेवा में रहा है;

(ङ) वह अच्छे शील का है;

(च) वह संविधान की अष्टम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भाषा का यथायोग्य ज्ञान रखता है; तथा

(छ) देशीयकरण का प्रमाण-पत्र उसे अनुदत्त किए जाने की दशा में वह भारत में निवास करने या भारत में की किसी सरकार के अधीन अथवा किसी ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के अधीन जिसका भारत का सदस्य है या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी कम्पनी या व्यक्ति निकाय के अधीन सेवा में प्रवेश करने या सेवा में बने रहने का आशय रखता है;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार किसी विशिष्ट मामले की विशेष परिस्थितियों में ठीक समझती है, तो वह—

(i) आवेदन की तारीख से छह मास से अनधिक पूर्व समाप्त होने वाली बारह मास की निरन्तर कालावधि को उपरोक्त खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए ऐसे संगणित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगी मानो वह उस तारीख से अव्यवहित पूर्व की हो;

(ii) आवेदन की तारीख से [1][पन्द्रह वर्ष] पहले से अधिक पूर्व के निवास या सेवा की कालावधियों को उपरोक्त खण्ड (घ) में वर्णित कुल कालावधि की गणना में संगणित करने की अनुज्ञा दे सकेगी।

**[2][चतुर्थ अनुसूची**

**देखें धारा 2( झ ) ( छछ )**

1. आस्ट्रेलिया
2. कनाडा
3. फिनलैण्ड
4. फ्रांस
5. ग्रीस
6. आयरलैण्ड
7. इजरायल
8. इटली
9. नीदर लैण्ड
10. न्यूजी लैण्ड
11. पुर्तगाल
12. रिपब्लिक आफ साइप्रस
13. स्वीडेन
14. स्विट्जरलैण्ड
15. यूनाइटेड किंगडम
16. यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका]

---

1. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 2004 के अधिनियम सं० 6 की धारा 19 द्वारा अंत:स्थापित।